Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

पंचायती राज: वर्तमान संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Kapil Dev*

M.A, M.Phil, Net

शोध आलेख सार: *विश्व की वृहत्तम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत की प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन के ऊपर स्तरों पर को भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली न हों। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता की समस्याएँ एवं उनके समाधान की प्रक्रिया में जनता की पूर्ण तथा प्रत्यक्ष भागीदारी है, तो प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं विशिष्ट लोकतंत्र का प्रमाण उतना सटीक अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा जितना स्थानीय स्तर पर है अब तक देश स्थानीय शासन (पंचायती राज) पाँच दशक हो चुके इसके विभिन्न स्तरों पर आऐ परिवर्तन, वास्तविक लोकतंत्र जैसे, महिलाओं की स्थिति साक्षर पंचायतः आरक्षण, विकेन्द्रीयकरण, संवैधानिक दर्जा, जैसे विषयों पर इस शोध पत्र में प्रकाश डालेंगे।*

मुख्य शब्द *- प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, लोकतंत्र, भागीदारी, विकेन्द्रीयकरण, स्थानीय सरकार, आरक्षण, साक्षर पंचायत।*

शोध प्रविधि *- इस शोध पत्र के लिए ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक विधि के साथ-साथ शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है*

शोध सामग्री *- शोध सामग्री को द्वितीय स्त्रोंतों से ग्रहण किया गया है। जैसे इस विषय पर लिखी पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, वबसाइटें इत्यादि का प्रयोग किया गया*

प्रमुख बिंदू:-

- *पंचायती राज की संरचना व सम्बंधित आयोग,*
- *73 वां संविधान संशोधन अधिनियम।*
- *प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खड़ा करना।*
- *सामाजिक, आर्थिक व लैंगिक न्याय की स्थापना।*
- *पंचायती राज की उपयोगिता व महत्व।*

----------X----------

परिचय:-

भारत में ब्रिटिश काल 1880 से 1884 के मध्य लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने स्थाई निकायों को बढाने का प्रावधान किया। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग- 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उनकी शक्तियां का उल्लेख किया गया है लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था।

भारत जैसे देश के लिए पंचायती राज बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भारत गाँवो का देश है और हमारी अधिकतर जनसंख्या गाँवों मे निवास करती है इस बात को लेकर गांधी

www.ignited.in

ने कहा था कि हमारा संघ गांवों का संघ होगा। उन्होने बताया की शहर में लोग रहते है गांव में देवता निवास करते हैं। यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। इसी संदर्भ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरणसिंह ने भी कहा था कि भारत की प्रगति और उन्नति का रास्ता गांवों से होकर जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता भी इस तथ्य को जानते थे कि गांवों का उद्धार किए बगैर भारत का उद्धार नहीं किया जा सकता।

पंचायती राज वो पंचायते ही हैं जो भारत को लोकतांत्रिक पहचान देती हैं। पंचायती राज का सीधा सा अर्थ है पंचायतों का नीति निर्माण, क्रियान्वयन और राजकाज में भागीदारी। चूंकि पंचायतें आम आदमी से मिलकर बनी होती हैं इसीलिए पंचायती राज में आम आदमी नीति निर्धारण आदि में हिस्सेदारी करता है। इस संदर्भ में प्रथम प्रधानमंत्री प॰ जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि यदि हमारी आजादी को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को अधिकारिक शक्ति संपन्न बनाना होगा।

प्रमुख भारतीय विद्वान प्रो॰ रजनी कोठारी का मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शी कार्य था - पंचायती राज की स्थापना। इसमें भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है और देश की आंतरिक एकता बढ रही है क्योंकि देश में एक स्थानीय संस्था आकार ले रही है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प॰ जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि गांव वालों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो फिर चाहे वे हजार गलतियां भी करें, ताकि वे सत्ता में भागीदारी निभा सकें। पं॰ नेहरू गावों को अधिकार सौंपने के प्रबल सर्मथक थे। नेहरू का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरिकों में अटूट विश्वास था। इसीलिए वे चाहते थे कि गावों के गरीब लोग भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बने। पंचायती राज व्यवस्था का मूलमंत्र है सामुदायिक विकास अर्थात् सबका मिल-जूलकर विकास। इसीलिए सन् 1952 में पं॰ नेहरू ने सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत की।

शुरूआती दौर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाया क्योंकि आम आदमी इन कार्यक्रमों से अपने आपको जोड़ नहीं पाया था जबकि हिस्सेदारी तभी संभव है जब भागदारी हो। आम आदमी को ये सब सरकारी ढकोसला मात्र लगता था। 1953: राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना शुरू की गई।

इन कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा जन सहयोग जुटाने के लिए बलबन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में प्रस्तुत की जिसमें 'जनतात्रिंक विकेन्द्रीयकरण योजना स्थापित करने की सिफारिश की गई थी'। इसे बाद में 'पंचायती राज' कहा जाने लगा। अपने प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना प्रारूप प्रस्तुत किया। इसी को सामान्यतः लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण कहा जाता है। भारत में पंचायती राज योजना को लागू करने वाले प्रथम दो राज्य राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश थे। 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला था।

पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़िकरण एवं इसकी उज्ज्वल सफलता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

- 1977 में अशोक मेहता समिति,
- 1985 में डा॰ पी॰वी॰ केशव समिति,
- 1986 में एलएम सिंधवी समिति का गठन,

पी॰ वी॰ नरसिंहा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय 22 दिसम्बर, 1992 को 73 वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में यह विधेयक लोक सभा में तथा 23 दिसम्बर, 1992 को दूसरे ही दिन सर्वसम्मति से राज्यसभा में भी पारित हो गया था इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा को यह विधेयक भेजा गया। 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 24 अप्रैल को इसे पंचायती राज कानून के रूप में पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया।

इसी कारण आज भारत वर्ष में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 73 वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के भाग 9 के साथ नया भाग व अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 (क) के तहत ग्राम सभा को कार्य एवं शक्तियां प्रदान करने का उतरदायित्व राज्य विधानसभाओं को सौंपा गया व संविधान की 11 वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 विषयों के संदर्भ में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने व उनके क्रियान्वयन व मूल्यांकन का कार्यभार ग्राम सभाओं कों सौंपा। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 (ख) के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया।

इसके अनुसार ग्रामसभा से तात्पर्य ऐसी समिति से है, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत सभा मतदाता शामिल होंगे। अनुच्छेद 243 (ग) पंचायतों की संरचना से संबंधित है,

जिसमें 20 लाख से अधिक आबादी वाले सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था व 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। 2009 में पंचायती राज मंत्रालय की और से 110 वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया था। जिसके तहत त्रिस्तीय पंचायती चुनावों में सीटों तथा अध्यक्ष के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष परद पर आरक्षण का प्रावधान भी होगा।

अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित आरक्षित रखने का भी प्रावधान है इसी प्रकार प्रत्येक स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष के कुल पदों स्थानों की संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत में अध्यक्ष पद को पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा।

ग्राम पंचायत:-

ग्राम पंचायत का गठन - Composition of Gram Panchayat

सरपंच -

ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते है जिसका प्रधान सरपंच होता है सरपंच का निर्वाचन ही प्रत्यक्ष ढंग से होता है, संरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष है उसे कदाचार, अक्षमता या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है अगर 2/3 पंच संरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो सरकार संरपंच को हटा सकती है सरपंच का प्रमुख कार्य कचहरी का सभापतित्व करना है, कचहरी के प्रत्येक तरह के मुकदमें की सुनवाई में सरपंच अवश्य रहता है संरपंच ही मुकदमें को स्वीकार करता है तथा मुकदमें के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध करता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया का स्थान महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत में न्याय तथा शान्ति की व्यवस्था करने का उतरदायित्व उसी पर है

पंचायत समिति -

ब्लवंतराय समिति की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज के लिए प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की गई है प्रखंड स्तर पर गठित निकाय पंचायत समिति कहलाती है प्रत्येक प्रखंड (Development Block) में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है, राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने-बढाने का अधिकार होता है।

सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा यदि पदेन सदस्य इस पद पर नहीं रहे जिस पद के अधिकार से वह सदस्य बना हो, तो वह पंचायत समिति के निर्वाचित पदधारकों की पदावधि पांच वर्षों की अवधि के अतिरिक्त छह मास तक बढाई जा सकेगी।

प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रमुख और एक उपप्रमुख होगा। जिसका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य करेंगें लेकिन कोई सह-सदस्य इन पदों के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता।

प्रमुख पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल पांच वर्ष है पंचायत समिति अविश्वास का प्रस्ताव पास करके और राज्य सरकार आदेश जारी करके प्रमुख और उपप्रमुख को पद से हटा सकती है जिला परिषद का अध्यक्ष या व्यवस्थापिका का सदस्य निर्वाचित होने पर प्रमुख को अपना पद छोड़ना होगा।

प्रमुख को अनेक अधिकार दिए गए हैं पंचायत समिति की सभा बुलाना उसके अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना प्रमुख का काम है वह पंचायत समिति के कार्यों का संचालन करता है, उनका निरीक्षण करता है। और उसके कार्यकलाप की रिपोर्ट समिति को देता है वह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही कर सकता है प्रमुख की अनुपस्थिति में उसके सारे कार्यों का सम्पादन उपप्रमुख द्वारा होता है।

जिला परिषद:-

प्रत्येक जिला में एक परिषद की स्थापना होगी, जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होगे-

- क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक सदस्य जिला परिषद् क्षेत्र की यथासंभव 50000 की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की जाएगी प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।
- जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख
- लोकसभा और राज्य विधान सभा के किसी भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हों और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अन्तगत पडता हो।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष -

जिला परिषद के निर्वाचिंत सदस्य यथाशील अपने में से दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगें अध्यक्ष-पद के लिए भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्ग के लिए स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है अध्यक्ष के आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात यथा संभव वही होगा जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग की जनसंख्या का अनुपात होगा अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए भी कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित रखे गयें हैं जिला परिषद की कार्यपालिका एवं प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना, जिले में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत दिलाना इत्यादि उसके मुख्य कार्य हैं।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा एक महिने से अधिक की अवधि के अवकाश पर रहने के स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहण वहां करता है।

Article 243 (k) Provision of the State Election Commision निर्वाचन आयोग का प्रावधान

- इसकी स्थापना - 1994 में की गई थी।
- इसकी नियुक्ति - राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- इसका कार्यकाल - 65/5 वर्ष जो भी पहले हो।
- इसका त्यागपत्र - राज्यपाल को दिया जाता है।
- इसका कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार - राष्ट्रपति को होता है।

Article 243 (1) Provision of State Finance Commision राज्य वित्त आयोग का प्रावधान-

- इसकी नियुक्ति - राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- इसका कार्यकाल - पांच वर्ष।
- इसका त्यागपत्र - राज्यपाल को दिया जाता है।
- कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार - राष्ट्रपति को होता है।

न्यूनतम शिक्षा की योग्यता का पंचायती राज नेतृत्व पर प्रभाव

हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायत के संरपंच की होती है इसीलिए हम देख सकते है कि 2016 में चुने सरपंचो की शैक्षणिक योग्यता की पडताल करें। किन्तु यह कार्य करने से पहले यह बतलाना आवश्यक हो जाता है कि इन चुनावों में पुरूषों को संरपंची में 59 प्रतिशत और महिलाओं को 41 प्रतिशत भागीदारी मिली। यह इसलिए उत्साहवर्धक है क्योंकि अधिनियम के अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी ही मिलनी चाहिए थी। 8 प्रतिशत महिलाएं बिना आरक्षण के अपने पुरूष प्रतिद्वंढियों को चुनाव में हराकर संरपंच बनने में सफल रहीं हरियाणा जैसे पुरूष प्रधान राज्य में इसे एक बडी उपलब्धि ही मानना होगा न्यूनतम शिक्षा शर्त के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थानों में पढा लिखा नेतृत्व उभरा है। जहां तक विभिन्न श्रेणियों के सरपंचों के सशक्तिकरण का प्रश्न है केवल उच्च जातियों के या भूमिपति जातियों के वे ही सरपंच ही किसी सीमा तक शक्तिशाली माने जा सकते हैं। जिन्हे विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों तथा सत्ताधारी दल के विधायकों का संरक्षण प्राप्त है। जहां तक महिला सरपंचो का प्रश्न है शैक्षणिक योग्यता भी उनके सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध नहीं हो पाई है जहां विवाहित महिला सरपंचो के पति ही उनके नाम पर वास्तविक भूमिका निभाते थे अब ये भूमिका उनके ससुरों जेठों और देवर द्वारा निभाई जाने लगी। जहां शिक्षा शर्त के सकारात्मक सुधार हुऐ दिखाई देते हैं कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते। हरियाणा में बहुत बडा तबका अभी निरक्षर है जो चुनाव लडनें से वंचित रह गए है भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है लोकतन्त्र में सभी को चुनाव लडने का अधिकार है चुनाव लडने से वंचित

व्यक्तिों का लोकतंत्र की आस्था से या अपने को ठग्गा सा महसुस करते हैं

पंचायती राज की उपयोगिता और महत्व -

भारत गावों का देश है इसीलिए महात्मा गांधी का भी मानना था भारत का विकास तब तक संभव नहीं जब तक ग्रामवासियों को सता में भागीदारी न बना लिया जाऐं। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भारत की स्थिति ऐसा करने योग्य नहीं थी लेकिन भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों में (भाग-4) उल्लेख जरूर किया गया है। बाद मे राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरूआत की तथा ग्रामीण जनता को सत्ता में भागीदारी मिली।

इससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं को अपने प्रधानों के माध्यम से सरकारों तक पहुंचा सकते है व अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं ग्रामों में च्ण्भ्ण्ब् ब्ण्भ्ण्ब् स्कूल जैसी सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होने लगी जिससे गांवों का विकास होने लगा।

महत्व पूर्ण बिंदू -

- पंचायती राज में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया है
- इससे शासक और जनता दोनों का संवाद सीधे रूप से होता है।
- इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खडा किया है।
- पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है।
- पंचायती राज के माध्यम से लैंगिक न्याय की स्थापना हुई है।
- पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक एंव आर्थिक विकास अधिक प्रभावी हुआ है।

निष्कर्ष:-

स्वतन्त्रता के पश्चात् समाज के सर्वाधिक पिछडे वर्गों की प्रथम व्यापक राजनीति भर्ती का यह क्रम अभी प्रारम्भ ही हुआ है। समाज के सभी वर्गों ने इस पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को नजदीकी से देखा एवं अनुभव किया। पंचायती राज व्यवस्था आगे चलने वाला अबांध क्रम अब ज्यादा प्रतिस्पद्धापूर्ण होगा। नेतृत्व के लिए ज्यादा योग्य एवं व्यवस्था को समझने वाले लोग प्रतिस्पद्र्धा में आएगें। गावों के विकास की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पंचायतों में आ गई है एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से आम जनों की सहभागिता का स्तर बढा है। अनुसूचित जाति, महिला जैसे पिछडों में पिछडे वर्ग का पंचायतो में प्रतिनिधित्व स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के सुदृढीकरण व अवसर की समानता जैसी अवधारणाओं को मूर्तरूप देने में सहायक सिद्ध होगा। लेकिन अनुसूचित जाति एवं महिला नेतृत्व पंचायतों मे कम प्रतिस्पर्धा में आया है उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरूकता का निम्न होना अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक, आर्थिक स्थिति से जुडा विषय है महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस सन्दर्भ में विषय है महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस संदर्भ में अन्तर संबंधी प्रतीत होता है अगर अनुसूचित जाति के इन नेताओं, सरपंचों के उतरों को समग्र रूप से देखा जाए, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जाति, महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी आने वाले समय में ज्यादा सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी।

संदर्भ सूची

मुन्नी पडलिया, “भारत में पंचायती राज, संपादक, अनामिका पब्लिशंस एवं डिस्ट्रीब्यूर्टस प्रावेट लि॰ पृ॰ 9

अंजली वर्मा, “भारत में पंचायती राज”, ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ॰ 1-3

Dainiknavajyoti Dailyhunt, भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक परिचय

http://www.sansarlochon:in/Panchayti-rajhindi

https://hi-wikipedia.org/wiki/panchayti-raj

https://M.dailyhunt.in/new/hindi/dainiknavajyoti-epaper

https://khabar-ndtv.com/topic/gfj;k.kkiapk;r

http://www/deshbandhu.com.in/vichar/haryana-panchayti-raj-act1994-amended-53-44-2

गौतम वीर: पंचायती राज व्यवस्था/ओमेग पब्लिकेशन्स नई दिल्ली

Corresponding Author

Kapil Dev*

M.A, M.Phil, Net

kapildevpawaria@gmail.com